भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3175

13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष विश्वविद्यालय

3175. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में आयुष विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए कोई विशेष योजना बना रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आयुष उत्पादों तथा सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं तथा इस संबंध में कोई विशेष नीति क्रियान्वित की गई है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा की जाती है; यूजीसी सक्षम विधानमंडल द्वारा स्थापित ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और उनके नाम यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार की गई, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किए जाते हैं।

यूजीसी, शिक्षा या अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद के संगत अधिनियम द्वारा स्थापित संबंधित परिषदों के मनोनीत सदस्यों के साथ-साथ संगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता धारक सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करता है।

(ख) और (ग): आयुष मंत्रालय ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है; और आयुष पद्धति के संवर्धन और समग्र विकास के लिए उनके प्रयासों को सहयोग प्रदान कर रहा है। एनएएम के तहत, एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त उनके प्रस्तावों के निमित्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) जिनका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) रखा गया है, का संचालन।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।

v. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

vi. सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति।

vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

viii. उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का ढांचागत विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

(घ): आयुष क्षेत्र के संवर्धन और विकास की प्रक्रिया में और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (आईएसएम एंड एच) की शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए, केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (एनसीआईएसएम अधिनियम 2020) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (एनसीएच अधिनियम 2020) अधिनियमित किया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 और एनसीएच अधिनियम, 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने के लिए क्रमशः दो आयोगों नामतः भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) का गठन किया।

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 क्रमशः निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://ncismindia.org/NCISM%20Gazette%20notification.pdf और http://nch.org.in/upload/pdf_upload-381801.pdf

आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनसीआईएसएम के तहत चल रही योजनाएं निम्न प्रकार हैं:-

1.छात्रवृत्ति कार्यक्रम

• स्पार्क कार्यक्रम-

एनसीआईएसएम ने, सीसीआरएएस के सहयोग से पिछले वर्ष आयुर्वेद महाविद्यालयों के 100 स्नातक शोधार्थियों के लिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन (स्पार्क) कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत दो महीने के लिए 25000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जा रही है।

• एसपीयूआर कार्यक्रम-

एनसीआईएसएम ने, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) के सहयोग से, स्नातक की शोध योग्यता को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर यूनानी रिसर्च (एसपीयूआर) कार्यान्वित किया है। इसके तहत दो महीने के लिए 25000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जा रही है।

2. पीजी-स्टार कार्यक्रम-

- एनसीआईएसएम ने केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के सहयोग से स्नातकोत्तर शोधार्थियों के लिए आयुर्वेद अनुसंधान में प्रशिक्षण योजना (पीजी-स्टार) शुरू की है।

(ङ): मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (आईसी योजना) विकसित की है जिसके तहत, आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष औषध विनिर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, आयुष चिकित्सा पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता देना, हितधारकों में आपसी संपर्क बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार में वृद्धि करना, विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षाविदों तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित करना शामिल है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- आपसी हितों पर आयुष से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके विदेशों के साथ सहयोग। विदेशों के साथ पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 24 अलग-अलग देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए;
- अनुसंधान/अकादमिक सहयोग के लिए विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर;
- विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आयुष पीठों की स्थापना के लिए 15 समझौता ज्ञापन;
- आयुष विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक/दीर्घकालिक);
- आयुष के क्षेत्र में सहयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियों के साथ सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए सहयोग या आयोजन;
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारत या विदेश में सम्मेलन, सेमिनार, एक्सपो आदि;
- आयुष पद्धति के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए दुनिया भर के विभिन्न देशों में 42 आयुष सूचना प्रकोष्ठ (केंद्र) की स्थापना;
- विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और बहुपक्षीय मंचों में आयुष का प्रतिनिधित्व करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष में नैदानिक अनुसंधान करने के लिए सहयोग;
- आयुष उत्पादों और सेवाओं आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष विनिर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करना।
- भारत में मान्यता प्राप्त आयुष संस्थानों में पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी नागरिकों को आयुष छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने के बाद आईडीवाई एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है, जिसमें दूतावासों, योग चिकित्सकों और स्थानीय समुदायों के माध्यम से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर भागीदारी होती है।
- पाठ्यक्रमों के माध्यम से योग शिक्षा के लिए सहयोग और विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष पीठों की स्थापना जैसी शैक्षिक पहल आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित, योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी), योग पेशेवरों और संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रदान करता है, तथा शिक्षण और व्यवस्था में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करता है।

*****